

[17/3/2023]

निधानसभा तारकित क्रमांक 3161

प्रश्न सं. [क. 3161] द्वारा माननीय विधायक श्री पाँचीलाल मेड़ा

परिशिष्ट-‘अ’


ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति (स्वीकृति) प्राप्त किये बिना भोपाल एवं इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रोजेक्ट बनाने वाले संचालकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 16/02/2023 की अवधि के बीच की गई कार्यवाही का विवरण


नगर निगम सीमा क्षेत्र का नाम : इन्दौर

क्र.	पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये बगैर बनाये गये प्रोजेक्ट का नाम एवं पता	प्रोजेक्ट संचालकों के नाम जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही
1	लाईफकेयर लॉजिस्टिक्स प्रा.लि., सर्वे नं. 52/1, 52/4, ग्राम-पीरकराड़िया, तहसील- सांवेर, जिला-इन्दौर	1. श्री वैभव राय, संचालक 2. श्री अतुल श्रीराव, जनरल मैनेजर (ऑपरेशन)	बिना पर्यावरण स्वीकृति के निर्माण कार्य करने के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16 के तहत दिनांक 29.09.2022 को सी.जे.एम. न्यायालय, इन्दौर में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

नगर निगम सीमा क्षेत्र का नाम : भोपाल

क्र.	पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये बगैर बनाये गये प्रोजेक्ट का नाम एवं पता	प्रोजेक्ट संचालकों के नाम जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही
1	मेसर्स गिरजा कॉलोनाईजर एण्ड डेव्हलपर्स (सुरेन्द्र मानिक), खसरा नं. 386/1/1/1, ग्राम बरखेड़ा पठानी, विद्या सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पास, अवधपुरी भोपाल	श्री आदर्श मल्होत्रा	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 14/2021 के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति न होने के कारण मेसर्स गिरजा कॉलोनाईजर एण्ड डेव्हलपर्स, भोपाल पर 6.153 करोड़ रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
2	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत खसरा क्र. 131 ग्राम राहुल नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	श्री ए.आर. पवार, मुख्य अभियंता नगर निगम भोपाल	बिना पर्यावरण स्वीकृति के निर्माण कार्य करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत न्यायालय में वाद दिनांक 27.10.2022 को प्रस्तुत किया गया।


अनुगत अधिकारी
पर्यावरण विभाग


अनुगत अधिकारी
पर्यावरण विभाग


विधानसभा तारांकित क्रमांक 3161
द्वारा माननीय विधायक श्री पाँचीलाल मेड़ा

परिशिष्ट-‘ब’

भोपाल/इन्दौर के अन्तर्गत ऐसे प्रोजेक्ट (निर्माण कार्य, आवासीय परिसर एवं बेचिंग प्लांट) की सूची जिनके द्वारा बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बगैर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण


शहर का नाम :- इन्दौर

क्र.	बोर्ड की सम्मति के बगैर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट (निर्माण कार्य, आवासीय परिसर एवं बेचिंग प्लांट) का नाम एवं पता	संचालक का नाम	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1	लाईफकेयर लॉजिस्टिक प्रा.लि., सर्वे नं. 52/1, 52/4, ग्राम-पीरकराड़िया, तहसील- सांवेर, जिला-इन्दौर	1. श्री वैभव राय, संचालक 2. श्री अतुल श्रीराव, जनरल मैनेजर (ऑपरेशन)	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16 के तहत दिनांक 29.09.2022 को सी.जे.एम. न्यायालय, इन्दौर में प्रकरण दायर किया गया है।
2	एन.आर.के. लक्स, स्कीम नं. 134, स्टॉर चौराहे के पास, इन्दौर	श्री दीपक कालरा, संचालक	कार्यालय के पत्र क्रमांक 524 दिनांक 17.02.2023 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
3	साहिल ग्राण्ड, प्लॉट नं. 3, स्कीम नंबर 134, स्टॉर चौराहे के पास, इन्दौर	श्री नरेन्द्र कंधारी, संचालक	कार्यालय के पत्र क्रमांक 526 दिनांक 17.02.2023 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
4	अमानत इन्फ्राटेक प्रा.लि खसरा नंबर. 92/1, 92/2, 93/3/1, 94/1/1/3, 113/3, 114/2, 114/3/1, 92/3/2 बिचौली मर्दाना, इन्दौर	श्री अनिल कुमार शर्मा, संचालक	कार्यालय के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 22.02.2023 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।



शहर का नाम :- भोपाल

क्र.	बोर्ड की सम्मति के बगैर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट (निर्माण कार्य, आवासीय परिसर एवं बेचिंग प्लॉट) का नाम एवं पता	संचालक का नाम	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1.	सेज सनसिटी, फेस-2, द्वारा : मेसर्स अग्रवाल कॉलोनाईजर्स, प्लॉट नं. 8/10/2/2, 9/11/1/1, 12/3, 13/1, 719/10/1/1, 9/11/2/1, 12/2 ग्राम बगरोदा तहसील हुजूर जिला भोपाल	श्री संजीव अग्रवाल	जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये भवन निर्माण/कालोनी परियोजना निर्माण के कारण दिनांक 20.01.2023 को नोटिस जारी किया गया। संस्था द्वारा दिनांक 09/02/2023 को ऑनलाईन आवेदन किया गया है।
2.	अमलतास इंडिया लिमिटेड, (अमलतास गोल्डन बिल्डे), खसरा नं. 42, 43, 44, 45, 48/2, 50, 53, 54, 55/1, 56/2, कटारा हिल्स, भोपाल	श्री अब्दुल्ला हसन	जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये भवन निर्माण/कालोनी परियोजना निर्माण के कारण दिनांक 13.02.2023 को नोटिस जारी किया गया।
3.	श्री शिव डेवलपर्स (श्री शिवांगन), खसरा नं. 176 एण्ड पार्ट 150, 177, ग्राम सलैया तहसील हुजूर जिला भोपाल	श्री दर्वेश पाटीदार	जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये भवन निर्माण/कालोनी परियोजना निर्माण के कारण दिनांक 10.02.2023 को नोटिस जारी किया गया।
4.	मेसर्स ग्लोबस हाउसिंग प्रा.लि. (कोरल बुड कॉलोनी), होशंगाबाद रोड भोपाल	श्री उज्जवल सिंह भटीजा	जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये भवन निर्माण/कालोनी परियोजना निर्माण के कारण बोर्ड के पत्र दिनांक 04.01.2023 के माध्यम से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रूपये 3.75 लाख अधिरोपित की गई है।
5.	मेसर्स लीला डेवलपर्स, (लीला अतुल्यम) खसरा नं. 160 एण्ड पार्ट ऑफ 156, ग्राम सलैया भोपाल	श्री जगमोहन पाटीदार	जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये भवन निर्माण/कालोनी परियोजना निर्माण के कारण दिनांक 06.02.2023 को नोटिस जारी किया गया।
6.	मेसर्स माय सिटी, (माय रियल्टी) कोलार मेन रोड, मदर टेरेसा स्कूल के पास, कजलीखेड़ा, कोलार रोड, भोपाल	श्री सौरभ गर्ग	जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये भवन निर्माण/कालोनी परियोजना निर्माण के कारण दिनांक 17.01.2023 को नोटिस जारी किया गया।


पर्यावरण अधिकारी
पर्यावरण विभाग
भोपाल (M.P.)

